

Email id -

seeudc1qzb@gmail.com

CUG Mob.-9193320111

CIN:U31200UP2003SGC027458



कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-प्रथम
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०
ए-ब्लॉक, हाईडिल कॉलोनी, कविनगर,
गाजियाबाद।

पत्रांक 2809 / वि०न०वि०म०-प्रथम/गा०बाद

दिनांक 27-01-2024

विषय:-विज्ञापन प्रकाशित करने हेतु आदेश।

सेवा में,

विज्ञापन व्यवस्थापक
पंजाब केसरी, नई दिल्ली।

विज्ञापन व्यवस्थापक
वीर अर्जुन, गाजियाबाद।

महोदय,

आपके प्रतिष्ठित दैनिक/साप्ताहिक समाचार पत्र के एक अंक में आपके यह उपलब्ध छोटे से छोटे टाइप और कम से कम स्थान में दा कॉलम साइज में दिनांक 28.01.2024 तक को प्रकाशनार्थ संलग्न विज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है। हैडिंग व नीचे के नाम व पते में भी बड़ा टाइप न लगायें तथा नाम व पता एक ही लाइन में छांपें। विज्ञापन में शीर्ष पर पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि० का मोनोग्राम एवं सबसे नीचे इस आदेश की संख्या व दिनांक भी छोटे से छोटे टाइप में अवश्य प्रकाशित करें। इस निर्देशों के विपरीत छपे विज्ञापनों के बीजकों में आवश्यक कटौती करने के लिए पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि० बाध्य होगा।

1. स्थानीय प्रकृति की सूचना जैसे-बिजली बंद रहने की सूचना, उपभोक्ता शिविर लगने की सूचना, बिजली बिलों के सम्बन्ध में सूचना आदि का प्रकाशन यथा सम्भव समाचार पत्र के स्थानीय पृष्ठ पर तथा ई-निविदा सूचनाओं का प्रकाशन ई-निविदा हेतु निर्धारित पृष्ठ पर करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
 2. प्रकाशन के बाद विज्ञापन आदेश की प्रथम मूल प्रति प्रकाशन हेतु प्रेषित सामग्री की मूल प्रति के साथ विज्ञापन शुल्क की बीजक तीन प्रतियों में अग्रिम भुगतान प्राप्ति रसीदी टिकट सहित प्रकाशित विज्ञापन की सम्पूर्ण वाउचर प्रतियां संलग्न करते हुए भुगतान हेतु प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विक्टोरिया पार्क, मेरठ को प्रेषित करें। विज्ञापन आदेश की प्रथम मूल प्रति के स्थान पर फोटो प्रति प्रेषित करने पर सत्यापन भुगतान सम्भव न होगा।
 3. संलग्न हिन्दी/अंग्रेजी विज्ञापन का प्रकाशन हिन्दी भाषा में 8-10 प्वाइंट टाइप में एक ही कॉलम में किया जाये। अंग्रेजी भाषा सामग्री का प्रकाशन हिन्दी भाषा में अनुवाद के पश्चात ही करें जिसके लिए समाचार पत्र को कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।
 4. विज्ञापन प्रकाशित होते ही विलम्बतः एक सप्ताह के अन्दर विज्ञापन की एक कटिंग अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचनार्थ अवश्य भेज दी जाये अन्यथा सम्बन्धित बीजक का सत्यापन भुगतान नहीं किया जायेगा।
 5. टेन्डर/सूचना इत्यादि यदि आपको सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ०प्र० तथा विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय भारत सरकार द्वारा विज्ञापन देय स्वीकृत न हो तो कृपया विज्ञापन प्रकाशित न करें। अधोहस्ताक्षरकर्ता को अविलम्ब इस आशय से सूचना देने का कष्ट करें। विज्ञापन के अन्त में सबसे नीचे छोटे टाइप में "राष्ट्र हित में बिजली बचायें" का नारा तथा विद्युत चोरी का हेल्प लाइन नम्बर अवश्य दें।
- संलग्नक:-विज्ञापन सामग्री**

भवदीय

(महफूज आलम)

अधीक्षण अभियन्ता
Chhatinbad

पत्रांक : 2809 / वि०न०वि०मण्डल-प्रथम/गा०बाद

दिनांक:- 27-01-2024

प्रतिलिपि निम्न को विज्ञापन सामग्री सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्ध निदेशक, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त निविदा को निगम की वेबसाईट पर डलवाने की कृपा करें।
2. मुख्य अभियन्ता(वि०), गाजियाबाद क्षेत्र-प्रथम, गाजियाबाद।
3. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ। (ई-मेल:-propvnlmrt@gmail.com)
4. सम्बन्धित निविदा पत्रावली।

(महफूज आलम)

अधीक्षण अभियन्ता
Chhatinbad




पश्चिमोच्चल विद्युत वितरण निगम लि० अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

ई-निविदा संख्या:-54/2023-24/EUDC-1GZB

धरोहर राशि :-रु०-2780.00

विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-तृतीय, गा०बाद के कार्यक्षेत्र में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड(वी०/याँ) नलकूप संख्या-8, नेहरूनगर, गाजियाबाद के संयोजन की लाईन निर्माण सम्बन्धित समस्त कार्य हेतु आमंत्रित की जाती है, जो दिनांक 12.02.2024 को दोपहर 12:00 बजे तक भरी जा सकती है एवं 12.02.2024 को 16:00 बजे व उसके पश्चात खोली जायेंगी।

अधोहस्ताक्षरकर्ता को किसी भाग को निरस्त करने का अधिकार होगा। अर्हता सम्बन्धी विस्तृत सूचना, तिथि, धरोहर राशि, संशोधन/विस्तार तिथि आदि <https://etender.up.nic.in> एवं निगम की वेबसाईट www.pvvnl.org पर देखा जा सकता है।


अधीक्षण अभियन्ता
विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-प्रथम, गाजियाबाद
Ghaziabad

“राष्ट्रहित में बिजली बचायें”

पुड़)

/2024

नूचना

गालिका

संख्या

पुड़ हेतु

nder.

डाली

गालिका

अध्यक्ष

हापुड़



पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि.

अल्पकालीन ई निविदा सूचना

ई-निविदा संख्या:-54/2023-24/EUDC-1GZB

धरोहर राशि :- रु.-2780.00

विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-तृतीय, गा.बाद के कार्यक्षेत्र में अभियन्ता, निर्माण खण्ड (बी./पौ) नलकूप संख्या-8, नेहरूनगर, गाजियाबाद के संयोजन की लाईन निर्माण सम्बन्धित समस्त कार्य हेतु आमंत्रित की जाती है, जो दिनांक 12.02.2024 को दोपहर 12:00 बजे तक भरी जा सकती है एवं 12.02.2024 को 16:00 बजे व उसके पश्चात खोली जायेगी। अधोहस्ताक्षरकर्ता को किसी भाग को निरस्त करने का अधिकार होगा। अर्हता सम्बन्धी विस्तृत सूचना, तिथि, धरोहर राशि, संशोधन / विस्तार तिथि आदि <https://etender.up.nic.in> एवं निगम की वेबसाइट www.pvvn1.org पर देखा जा सकता है। हस्ता./- अभिक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-प्रथम, गाजियाबाद। "राष्ट्रहित में बिजली बचाये" पत्रांक : 2809, दिनांक 27.01.2024

कार्यालय : जगर पालिका परिषद स्योहारा, जगपद-बिजौर

दूरभाष : 0121-2665734

फैक्स : 0121-2666062

सिन-U31200UP2003SGC027458



कार्यालय
प्रबन्ध निदेशक
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०
ऊर्जा भवन, विक्टोरिया पार्क, मेरठ

पत्रांक— प०वि०वि०नि०लि०/तक०/प्र.अनु-5(नो)/(20)

दिनांक : 23.01.2024

कार्यालय ज्ञाप

मुख्य अभियन्ता (वितरण), गाजियाबाद क्षेत्र, गाजियाबाद के पत्रांक 762/मु०अ०गा०वि०/गा०बाद/सी० 350/दिनांक 13.12.2023 द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-प्रथम, गाजियाबाद के पत्रांक 2381/वि०न०वि०म०-तृतीय/गा०बाद दिनांक 13.12.2023 द्वारा विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-प्रथम, गाजियाबाद के अन्तर्गत विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-तृतीय, गाजियाबाद के कार्यक्षेत्र में अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 13/वी० नलकूप संख्या-8, तृतीय-कै०, शिव शम्भु मन्दिर पार्क, नेहरु नगर, गाजियाबाद के 25 कि०मी० संयोजन की योजना के अन्तर्गत कार्य को पूर्ण जमा योजना मद में बाहुय एजेन्सी के माध्यम से कराने हेतु धनराशि रु० 2.78 लाख एवं 2000000 अतिरिक्त की प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमति प्रबन्ध निदेशक महोदय, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ द्वारा निम्नानुसार अधोलिखित शर्तों पर प्रदान की गयी है:-

1. उक्त कार्य हेतु धनराशि का प्राविधान पूर्ण जमा योजना मद में उपभोक्ता द्वारा जमा करायी गयी धनराशि से किया जायेगा। पूर्ण धनराशि जमा कराये जाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता (वितरण) का होगा।
2. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्ण जमा योजना के अन्तर्गत कार्य कराये जाने हेतु व्यय की जाने वाली अधिकतम धनराशि (जीएसटी सहित) प्राक्कलन में प्रावधानित स्थानीय अंश से अधिक न हो।
3. उक्त कार्य ई-निविदा के माध्यम से ही कराया जायेगा।
4. कार्योत्तर प्राक्कलन सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरान्त ही भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी।
5. 11 ओवी० अथवा 33 कैवी लाईन शिफ्टिंग का कार्य में तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही कराया जायेगा।
6. उ०प्र० पावर कारपोरेशन के आदेश संख्या 10-कार्य/चौदह-पा०का०लि०/2019-3-के/2000 दिनांक 02.01.2019 द्वारा प्रदान प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों के अन्तर्गत उपरोक्त कार्य कराया जायेगा।
7. इस सम्बन्ध में निगम द्वारा समय-समय पर निर्गत प्रशासनिक एवं वित्तीय नियमों का पालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
8. इस कार्य को रम्पे द्वारा निर्धारित विशिष्टीकरण, मानकों एवं दरों के अनुरूप ही कराया जायेगा तथा कार्य का विश्लेषण करवा कर से कम लागत में कराया जायेगा।
9. इस कार्य की अग्रिमता सक्षम कार्य समिति द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
10. उक्त कार्य एवं दरों की जिम्मेदारी अधीक्षण अभियन्ता (वि०) की होगी।
11. कार्य कराये जाने पूर्व प्राक्कलन की वांछित सम्पूर्ण धनराशि (जी०एस०टी० सहित) जमा कराये जाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता (वितरण) का होगा।
12. सम्बन्धित अवर अभियन्ता के द्वारा उपरोक्त कार्य का कार्योत्तर प्राक्कलन बनाया जाएगा एवं तदनुसार मासिक लेखा में आवश्यक प्रविष्टियाँ अंकित की जाएगी। इस प्रकार जमा योजना के कार्य में लगाई गई समस्त निगम के assets में सम्मिलित की जायेगी।
13. उ०प्र० पावर कारपोरेशन के पत्रांक 4512 चौदह/पा०का०लि०/2017-2000-टी-सी०-2017 दिनांक 27.11.2017 के अनुसार निर्माणित के कार्यों के प्राक्कलन की स्वीकृति से पूर्व उसकी तकनीकी रूप से समझ होने की स्वीकृति अगले उच्च अधिकारी से प्राप्त करना अनिवार्य है।
14. विद्युत प्रदाय सहित 2005 में निहित प्राविधानों एवं उ०प्र०पा०का०लि० लखनऊ के दिशा निर्देशों तथा समय-समय पर उनका संशोधन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
15. प्राक्कलन उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ के दिशा निर्देश संख्या 15/उ०म०प्र० (टैक्स)/जी०एस०टी० सेल/2019 दिनांक 09.04.2019 के अनुरूप सुनिश्चित किया जायेगा।
16. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ के आदेश सा० 1033-कार्य/चौदह-पा०का०लि०/2020-138-के/2011 दिनांक 24.08.2020 के द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करे।

(मनोज कुमार जैन)
अधीक्षण अभियन्ता (तक०)

पत्रांक : 3400 / प०वि०वि०नि०लि०/तक०/प्र.अनु-5(नो)/(20) तददिनांक:
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक (वित्) प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
2. मुख्य अभियन्ता (वितरण), गाजियाबाद क्षेत्र-प्रथम, गाजियाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता-प्रथम (सा०प्र०), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ को रवीकृत प्राक्कलन की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से दिशे कि उक्त कार्य के लिये केन्द्रीयकृत सामग्री की व्यवस्था करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे।
4. अधीक्षण अभियन्ता विद्युत मण्डल मण्डल मेरठ को रवीकृत प्राक्कलन की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से दिशे कि जमा योजना अनुभाग से सम्बन्धित स्थापित कर सामग्री की व्यवस्था करने का कष्ट करे।
5. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-प्रथम, गाजियाबाद।

(मनोज कुमार जैन)
अधीक्षण अभियन्ता (तक०)

सीसी- निदेशक (तक०) महोदय, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ को राखर अवलोकनार्थ।

टिप्पणी एवं आदेश


मुख्य अभियन्ता (वि०), गा०बाद क्षेत्र-प्रथम, गाजियाबाद।


महोदय,

कृपया सादर संज्ञान में लाना है कि विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-प्रथम, गाजियाबाद के अधीन विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-तृतीय, गा०बाद के कार्यक्षेत्र में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड(वी०/यौं) नलकूप संख्या-8, तृतीय-के०, शिव शम्भू मन्दिर पार्क, नेहरूनगर, गाजियाबाद के 25 कि०वा० संयोजन की लाईन निर्माण सम्बन्धित समस्त कार्य बाह्य एजेन्सी के माध्यम से कराये जाने प्रस्तावित हैं।

उपरोक्त कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमति निगम मुख्यालय, मेरठ के कार्यालय ज्ञाप सं० 3400 दि० 23.01.2024 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा प्रदान की गयी। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त कार्य ई-निविदा के माध्यम से कराये जाने हेतु अल्पकालीन ई-निविदा प्रकाशन की अनुमति प्रदान करना चाहें। उपरोक्त कार्य कराये जाने में अनुमानित लागत रु० 2.78 लाख (जी०एस०टी० अतिरिक्त) आने की सम्भावना है।

अल्पकालीन
ई-निविदा प्रकाशन
हेतु अनुमोदित


CHIEF ENGINEER (D)
GHAZIABAD ZONE
GHAZIABAD


(महफूज आलम)
अधीक्षण अभियन्ता,
वि०न०वि०म०-प्रथम, गा०बाद